# बिल का सारांश

## राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) बिल, 2016

- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) बिल, 2016 पेश किया।
- बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एक्ट 2007 (एनआईटीएसईआर एक्ट) में संशोधन करता है। एनआईटीएसईआर एक्ट प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है और इन संस्थानों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और ज्ञान के प्रसार का प्रावधान करता है।
- इससे पूर्व कुछ नए संस्थानों को 2007 के एक्ट के दायरे में लाने के लिए 2012 में इसमें संशोधन किए गए थे। नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को 2007 के एक्ट के तहत लाने के लिए इसमें दूसरी अनुसूचित जोड़ी गई थी।
- **दो नए संस्थानों को शामिल करना** : बिल एनआईटीएसईआर एक्ट की दूसरी अनुसूची में दो संस्थानों को शामिल करता है : (i) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति (आंध्र प्रदेश), और (ii) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर (ओड़िशा)।

**अस्वीकरणः** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

**निवेदिता राव**
nivedita@prsindia.org

**15 दिसंबर, 2016**